FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (पुरानाबास)

(ढाणी कुम्भाकाला में रास्ता बालाजी मन्दिर से लेकर कोटड़ा डामर रोड़ तक)

किस्म मुकदमा :– गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132 **मु0नं0** 482 **सन् 2025 जीसीएमएस नं.** 2025/905

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-2025	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/1127 दिनांक 30.06.2025 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है। तहसीलदार, नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम पुरानाबास पटवार मण्डल **पुरानाबास** तहसील नीमकाथाना स्थित **भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 0.40 हैक्ट. किस्म चाही–2 में से 0.0084 हैक्ट., खसरा नम्बर 144 रकबा 0.42 हैक्ट. किस्म चाही–2 मे से 0.012 हैक्ट., खसरा नम्बर 139 रकबा 0.10 हैक्ट. किस्म चाही–2 में से 0.0054 हैक्ट., खसरा नम्बर 147 रकबा 0.48 हैक्ट. किस्म चाही–2 में से 0.0144 हैक्ट., खसरा नम्बर 146 रकबा 0.48 हैक्ट. किस्म चाही–2 में से 0.0114 हैक्ट., खसरा नम्बर 145 रकबा 0.32 हैक्ट. किस्म बारानी उत्तम मे से 0.0102 हैक्ट., खसरा नम्बर 157 रकबा 0.53 हैक्ट. किस्म चाही–2 में से 0.0126 हैक्ट., खसरा नम्बर 158 रकबा 0.54 हैक्ट. किस्म चाही–2 मे से 0.015 हैक्ट., खसरा नम्बर 156 रकबा 0.14 हैक्ट. किस्म चाही–2 में से 0.0018 हैक्ट. कुल 03 मीटर चौडा तथा 308 मीटर लम्बाई का गै.मु.रास्ता ढाणी कुम्भाकाला में रास्ता बालाजी मन्दिर से लेकर कोटड़ा डामर रोड़ तक** का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू है एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत पुरानाबास का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, प्रस्तात के साथ जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा, फोटोग्राफ संलग्न है। प्रस्तावित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:06:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। **तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।** तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:06:52 IST
Reason: SelfAttested